बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

पत्रांक– 1/पी०एम०सी०/विविध/131/2022 –पार्ट–I...514... पटना, दिनांक–23.6.26

प्रेषक,

ई० ब्रजेश मोहन
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

महत्वपूर्ण

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता (यांत्रिक सहित),
जल संसाधन विभाग, बिहार।

विषय :– **CFMS अवधि के डी०सी० विपत्रों एवं उपयोगिता प्रमाण पत्रों के समायोजन के संबंध में।**

प्रसंग :– वित्त विभाग का पत्रांक–5659 दिनांक 17.06.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र संलग्न कर अनुरोध है कि वित्त विभाग द्वारा दिये गये निदेशों का अनुपालन करते हुए अपने अधीनस्थ कार्यालय को निदेशित किया जाए।

साथ ही डी०सी० विपत्रों के समायोजन की एक प्रति विभाग को भी उपलब्ध कराया जाए।

अनु०–यथोक्त।

विश्वासभाजन

(ब्रजेश मोहन)
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

ज्ञापांक–1/पी०एम०सी०/विविध/131/2022 –पार्ट–I –...514... पटना, दिनांक 23.6.26

प्रतिलिपि– अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–2/3/बाढ़/कैड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई करने हेतु प्रेषित।

अनु०–यथोक्त।

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

ज्ञापांक–1/पी०एम०सी०/विविध/131/2022 –पार्ट–I –...514... पटना, दिनांक 23.6.26

प्रतिलिपि– कार्यपालक अभियंता, आई०टी०, सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र को संबंधित पदाधिकारियों को ई–मेल करने एवं विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अनु०–यथोक्त।

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

पत्र सं०— को०प्र०/एसी०—04/2024 ..../

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक,

डॉ० जितेन्द्र गुप्ता,
संयुक्त सचिव।

सेवा में,

उप महालेखाकार (लेखा एवं वी०एल०सी०),
महालेखाकार (ले० एवं ह०) कार्यालय, बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक—......................

विषयः— **CFMS अवधि के डी०सी० विपत्रों एवं उपयोगिता प्रमाण पत्रों के समायोजन के संबंध में।**

प्रसंगः— आपके कार्यालय का पत्रांक—TM/DC&UC/26-27I/1451033/2026, दिनांक—27.05.2026 ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा वित्त विभागीय पत्रांक—12926, दिनांक—19.12.2025 के आलोक में CFMS अवधि के उपयोगिता प्रमाण पत्रों एवं डी०सी० विपत्रों के समायोजन हेतु ऑफलाईन माध्यम से समर्पित किए जाने की अस्थायी व्यवस्था को दिनांक—01.06.2026 से CFMS के माध्यम से Online महालेखाकार कार्यालय को समर्पित करने हेतु विभागों को निदेशित करने का अनुरोध किया गया है।

2. विदित है कि वित्त विभागीय पत्रांक—12926, दिनांक—19.12.2025 द्वारा निर्णय लिया गया है कि जब तक CFMS पोर्टल के माध्यम से विपत्रों को तैयार कर प्रेषित किये जाने की व्यवस्था सुदृढ़ रूप से कार्यान्वित नहीं हो जाती है, तब तक के लिए दिनांक—01.04.2019 के पश्चात के लंबित डी०सी० विपत्रों एवं उपयोगिता प्रमाण पत्रों को ऑफलाइन AC/DC & UC संग्रहण केन्द्र, वित्त विभाग के माध्यम से महालेखाकार कार्यालय को समायोजन हेतु प्रेषित किया जायेगा।

3. आपके कार्यालय से प्राप्त अनुरोध के आलोक में उक्त विपत्रों का समायोजन CFMS पोर्टल के माध्यम से सुचारू रूप से सुनिश्चित की जा सकती है अथवा नहीं, के संबंध में प्रभारी पदाधिकारी, CFMS से जानकारी प्राप्त की गयी। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि :—

(i) दिनांक—31.05.2026 तक सार विपत्र पर आहरित राशि के विरूद्ध डी0सी0 विपत्र एवं सहायक अनुदान मद पर आहरित राशि के विरूद्ध उपयोगिता प्रमाण—पत्र को महालेखाकार (ले0 एवं ह0) कार्यालय को ऑफलाईन माध्यम से समर्पित किया जाय।

(ii) दिनांक—01.06.2026 से सार विपत्र पर आहरित राशि के विरूद्ध डी0सी0 विपत्र एवं सहायक अनुदान मद पर आहरित राशि के विरूद्ध उपयोगिता प्रमाण—पत्र को महालेखाकार (ले0 एवं ह0) कार्यालय को CFMS के माध्यम से ऑनलाईन समर्पित किया जा सकता है।

4. अतः सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि दिनांक—31.05.2026 तक CFMS अवधि के सार विपत्र पर आहरित राशि के विरूद्ध डी0सी0 विपत्र एवं सहायक अनुदान मद पर आहरित राशि के विरूद्ध उपयोगिता प्रमाण—पत्र को समायोजन हेतु वित्त विभागीय पत्रांक—12926, दिनांक—19.12.2025 के आलोक में ऑफलाइन AC/DC & UC संग्रहण केन्द्र, वित्त विभाग के माध्यम से तथा दिनांक—01.06.2026 से CFMS अवधि के सार विपत्र पर आहरित राशि के विरूद्ध डी0सी0 विपत्र एवं सहायक अनुदान मद पर आहरित राशि के विरूद्ध

s-30

डायरी सं0 4450
दिनांक 19.06.26
मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग
जल संसाधन विभाग, पटना

उपयोगिता प्रमाण–पत्र को महालेखाकार (ले0 एवं ह0) कार्यालय को समायोजन हेतु CFMS के माध्यम से महालेखाकार (ले0 एवं ह0) कार्यालय को नियमानुसार प्रेषित किया जाएगा।

विश्वासभाजन,

ह०/–
(डॉ० जितेन्द्र गुप्ता)
संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक– को०प्र०/ए०सी०–04/2024 5650 ....पटना, दिनांक– 17-06-2026

प्रतिलिपि– अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(डॉ० जितेन्द्र गुप्ता)
संयुक्त सचिव ।